

प्ररूप 26
(नियम 4क देखिए)



..... 29-अक्टूबर-2019 विधान सभा क्षेत्र (निर्वाचन क्षेत्र से)
(निर्वाचन क्षेत्र का नाम)

..... 29-अक्टूबर-2019 (सदन का नाम) के लिए निर्वाचन के लिए रिटर्निंग आफिसर
के समक्ष अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला शपथ-पत्र

मैं, बिमला पुत्र/पुत्री/पत्नी शुभ शर्मा
आयु 34 वर्ष, जो अमला कुमारी
का/की निवासी हूँ और उपरोक्त निर्वाचन से अभ्यर्थी हूँ, सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञा करती
हूँ/करती हूँ/शपथ पर निम्नलिखित कथन करती हूँ/करती हूँ:-

1. मैं ऐसे किसी लंबित मामले में दो वर्ष या अधिक के कारावास से दण्डनीय किसी
अपराध (अपराधों) का/की अभियुक्त नहीं हूँ जिसमें सक्षम अधिकारिता वाले न्यायालय
द्वारा आरोप विरचित किया गया है/किए गए हैं।

(यदि अभिसाक्षी ऐसे किसी अपराध (अपराधों) का/की अभियुक्त है तो वह निम्नलिखित
जानकारी प्रस्तुत करेगा/करेगी):- नहीं

(i) मामला/प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या/संख्याएं.....

(ii) पुलिस थाना (थाने)..... जिला (जिले) राज्य

(iii) संबंधित अधिनियम (अधिनियमों) की धारा (धाराएं) और अपराध (अपराधों) का
संक्षिप्त विवरण जिसके (जिनके) लिए अभ्यर्थी आरोपित किया गया है नहीं

(iv) न्यायालय, जिसके (जिनके) द्वारा आरोप (आरोपों) की विरचना की गई नहीं

(v) तारीख (तारीखें) जिनको आरोप विरचित किया गया था नहीं

(vi) क्या सभी या कोई कार्यवाही किसी सक्षम अधिकारिता वाले न्यायालय द्वारा रोकी
गई है/हैं नहीं

2. मुझे किसी अपराध (अपराधों) (लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का 43) की
धारा 8 की उपधारा (1) या उपधारा (2) में निर्दिष्ट या उपधारा (3) के अंतर्गत आने
वाले किसी अपराध (अपराधों) से गिन्न के लिए सिद्धदोष करती हूँ/करती हूँ नहीं

बिमला

ठहराया गया है और एक वर्ष या अधिक के लिए कारावास से दण्डादिष्ट किया गया है/ नहीं किया गया है।

(यदि अभिसाक्षी उपर्युक्त रूप में सिद्धदोष ठहराया गया और दण्डादिष्ट किया गया है तो वह निम्नलिखित जानकारी प्रस्तुत करेगा) :-

(i) मामला/प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या/संख्याएं.....

(ii) न्यायालय, जिसने दण्डित किया है.....

(iii) पुलिस थाना (थाने).....जिला (जिले)
राज्य.....

(iv) संबंधित अधिनियम (अधिनियमों) की धारा (धाराएं) और उस अपराध (उन अपराधों) का संक्षिप्त विवरण जिसके (जिनके) लिए अभ्यर्थी कभी आरोपित किया गया है.....

(v) तारीख (तारीखें) जिनको दण्डादेश सुनाया गया था/सुनाए गए थे.....

(vi) क्या दण्डादेश सक्षम अधिकारिता वाले न्यायालय द्वारा रोका गया है/रोके गए हैं.....

स्थान हरद्वार
तारीख 11-1-12
सत्यापन

बिमला
अभिसाक्षी के हस्ताक्षर

मैं, ऊपर नामित अभिसाक्षी, यह सत्यापित और घोषित करता/करती हूँ कि इस शपथ-पत्र की अंतर्वस्तु मेरे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार सत्य और सही है और इसका कोई भाग मिथ्या नहीं है और कोई तात्विक बात छिपायी नहीं गयी है।

हरद्वार.....स्थान पर आज तारीख 11-1-12.....को सत्यापित किया।

अभिसाक्षी के हस्ताक्षर

बिमला

टिप्पणी :- इस प्ररूप के वे स्तम्भ, जो अभिसाक्षी को लागू नहीं हैं, काट दिये जायें।

ATTESTED & VERIFIED
Rajendra Pershad Sharma
Advocate & Notary
Dist. Haridwar (U.A.)

IDENTIFIED BY
ASADULLAH
Advocate
Reg. No. 2559/93
Dist. Haridwar

भारतीय गैर न्यायिक

दस
रुपये
₹.10



TEN
RUPEES
Rs.10

INDIA NON JUDICIAL

उत्तराखण्ड UTTARAKHAND

12AA 222875
कोषाधिकारी (रिजिस्ट्रार)
कोष संख्या - 5500

30 DEC 2011

जिला हरिद्वार (उत्तराखण्ड)
2010-2011



बिमला
ASADULLAH 2-1-12
Advocate
Reg. No. 559/93
Civil Court, Roorkee